PRS LEGISLATIVE RESEARCH

मंथली पॉलिसी रिव्यू

मई 2022

इस अंक की झलकियां

2021-22 की चौथी तिमाही में जीडीपी में 4.1% की वृद्धि (पेज 2)

2021-22 की चौथी तिमाही में जीडीपी में, 2020-21 की चौथी तिमाही की तुलना में अधिक वृद्धि अनुमानित है। 2020-21 में इस अवधि में जीडीपी में 2.5% की वृद्धि हुई थी। 2021-22 की चौथी तिमाही में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में संकुचन का अनुमान है।

आरबीआई ने पॉलिसी रेट्स और कैश रिजर्व रेशो बढ़ाए (पेज 2)

रेपो रेट 4% से बढ़कर 4.4% हो गई है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर अपरिवर्तनीय है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फेसिलिटी 3.75% से बढ़ाकर 4.5% कर दी गई है।

सीजीए ने 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के खातों पर अनंतिम आंकड़े जारी किए (पेज 3)

2021-22 के बजट अनुमान की तुलना में कुल व्यय 9% अधिक था। बजट अनुमान के मुकाबले कुल प्राप्तियां 12% अधिक थीं, और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.7% था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सहायक कंपनियों के विनिवेश या बंद करने हेतु प्रक्रियाओं को मंजूरी दी (पेज 5)

सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल के पास सहायक इकाइयों और संयुक्त उपक्रमों का विनिवेश करने और उनके संबंध में सुझाव देने की शक्ति है। मंत्रिसमूह (कैबिनेट के स्थान पर) प्रस्तावित विनिवेश को मंजूरी देगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह कानून को लागू करने पर रोक लगाई (पेज 6)

सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह से संबंधित सभी लंबित मुकदमों, अपील और कार्यवाहियों पर रोक लगाई और नए मामलों को दायर करने या जांच जारी रखने पर भी रोक लगाई।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं (पेज 4)

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। अदालत ने यह भी कहा कि दोनों के पास जीएसटी को लागू करने की 'एक समान शक्तियां' हैं।

कोयला खनन परियोजनाओं के क्षमता विस्तार के लिए पर्यावरणीय मंजूरी के नियमों में संशोधन (पेज 15)

क्षमता विस्तार करने वाली कोयला खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने हेतु कुछ शर्तों को हटा दिया गया है। छूट छह महीने के लिए वैध है।

राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति में संशोधन; इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2030 की बजाय 2025-26 किया गया (पेज 13)

20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य (पेट्रोल के लिए) 2030 की बजाय 2025-26 किया गया है। इसके अतिरिक्त संशोधनों में जैव-ईंधन के उत्पादन के लिए कई दूसरी फसलों के इस्तेमाल की भी अनुमति दी गई। मामलों के आधार पर जैव-ईंधन निर्यात किए जा सकेंगे।

ड्राफ्ट राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति पर टिप्पणियां आमंत्रित (पेज 14)

ड्राफ्ट राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति सरकारी डेटा के कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, एक्सेस और उपयोग को मानकीकृत करने का प्रयास करती है। यह नीति सभी सरकारी विभागों/मंत्रालयों पर लागू होगी।

PRS Legislative Research ▪ Institute for Policy Research Studies
3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ▪ 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ▪ New Delhi – 110002
Tel: (011) 43434035-36, 23234801-02 ▪ www.prsindia.org

यूजीसी ने भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए रेगुलेशंस अधिसूचित किए (पेज 10)

2022 के रेगुलेशन भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों को ट्विनिंग, ज्वाइंट डिग्री और डुअल डिग्री प्रोग्राम्स पेश करने से संबंधित प्रावधान करते हैं। इन प्रोग्राम्स को ऑनलाइन और ओपन तथा दूरस्थ शिक्षण मोड में पेश नहीं किया जा सकता।

खान और खनिज एक्ट में संशोधनों का प्रस्ताव (पेज 14)

ड्राफ्ट संशोधनों में निम्नलिखित को हटाया गया है: (i) खोज के काम के लिए वन मंजूरी की आवश्यकताएं, और (ii) बॉक्साइट और लौह अयस्क जैसे लाइसेंस (खनिज की खोज और खनन) की नीलामी के लिए केंद्र की मंजूरी की आवश्यकता।

मेडिकल प्रैक्टीशनर्स के लिए पेशेवर आचरण से संबंधित ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी (पेज 8)

ड्राफ्ट रेगुलेशन पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर के दायित्वों और जिम्मेदारियों तथा मरीजों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को निर्दिष्ट करते हैं, साथ ही टेलीकंसल्टेशन के लिए दिशानिर्देशों को प्रस्तावित करते हैं।

मैक्रोइकोनॉमिक विकास

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

2021-22 की चौथी तिमाही में जीडीपी में 4.1% की वृद्धि

2020-21 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) की तुलना में 2021-22 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (2011-12 के स्थिर मूल्यों पर) 4.1% की दर से बढ़ा।[1] 2020-21 की चौथी तिमाही में जीडीपी में 2.5% की वृद्धि दर्ज हुई। इसी वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में जीडीपी में 5.4% की दर से बढ़ोतरी हुई थी।

अंतिम अनुमानों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में 8.7% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। यह दूसरे अग्रिम अनुमानों में अनुमानित 8.9% की जीडीपी वृद्धि से थोड़ा कम है।[2]

रेखाचित्र 1: जीडीपी में वृद्धि (%, वर्ष दर वर्ष)

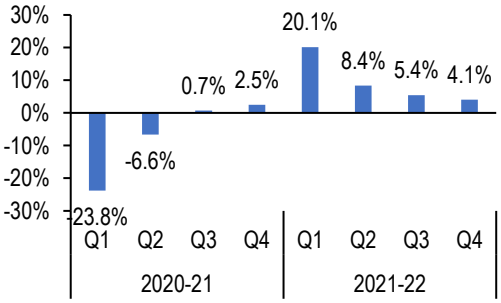

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; पीआरएस।

आर्थिक क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद को सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के रूप में मापा जाता है। 2021-22 की चौथी तिमाही में लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवा क्षेत्र में 2020-21 की इसी तिमाही की तुलना में 7.7% की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है। इसके बाद खनन और बिजली का स्थान है। इसी अवधि के दौरान मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में 0.2% के संकुचन का अनुमान है।

तालिका 1: स्थिर मूल्यों पर विभिन्न क्षेत्रों में जीवीए में वृद्धि (%, वर्ष दर वर्ष)

क्षेत्र	ति4 2020-21	ति3 2021-22	ति4 2021-22
कृषि	2.8%	2.5%	4.1%
खनन	-3.9%	9.2%	6.7%
मैन्यूफैक्चरिंग	15.2%	0.3%	-0.2%
बिजली	3.2%	3.7%	4.5%
निर्माण	18.3%	-2.8%	2.0%
व्यापार	-3.4%	6.3%	5.3%
वित्तीय सेवाएं	8.8%	4.2%	4.3%
लोक प्रशासन	1.7%	16.7%	7.7%
जीवीए	**5.7%**	**4.7%**	**3.9%**
जीडीपी	**2.5%**	**5.4%**	**4.1%**

नोट: जीवीए, टैक्स और सबसिडी के बिना जीडीपी है।
स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; पीआरएस।

रेपो और स्टैंडिंग फेसिलिटी रेट्स बढ़कर क्रमशः 4.4% और 4.15% हुए

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने पॉलिसी रेपो रेट (जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है) को 4% से

बढ़ाकर 4.4% करने का फैसला किया है।[3] एमपीसी हर दो महीने में बैठक करती है और यह फैसला एक महीने में किया गया है। समिति के अन्य निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टैंडिंग डिपॉजिट फेसिलिटी रेट (जिस दर पर आरबीआई कोलेट्रल दिए बिना बैंकों से उधार लेता है) को 3.75% से बढ़ाकर 4.15% कर दिया गया है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फेसिलिटी को लिक्विडिटी प्रबंधन के लिए अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था।[4] रिवर्स रेपो रेट (जिस दर पर आरबीआई कोलेट्रेल के साथ बैंकों से उधार लेता है) 3.35% पर अपरिवर्तनीय है।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी रेट (जिस दर पर बैंक अतिरिक्त धन उधार ले सकते हैं) और बैंक रेट (जिस दर पर आरबीआई बिल्स ऑफ एक्सचेंज को खरीदता है) 4.25% से बढ़कर 4.65% हो गई है।
- एमपीसी ने यह भी फैसला लिया है कि मौद्रिक नीति के समायोजन के रुख को बरकरार रखा जाए, और मुद्रास्फीति के लक्ष्यों को हासिल करने तथा वृद्धि को समर्थन देने के लिए समायोजन को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

आरबीआई ने बैंकों के लिए कैश रिजर्व रेशो (सीआरआर) को 4% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया है।[5] यह बदलाव 21 मई, 2022 से लागू होगा। सीआरआर कुल जमा राशि का वह प्रतिशत होता है जिसे बैंकों को आरबीआई में बनाए रखना होता है। सीआरआर में बढ़ोतरी से 87,000 करोड़ रुपए मूल्य की तरलता की निकासी होगी।[5]

2021-22 के लिए केंद्र सरकार के खातों के अनंतिम आंकड़े जारी

लेखा महानियंत्रक (सीजीए) ने 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के खातों पर अनंतिम आंकड़े जारी किए हैं।[6] तालिका 2 में 2021-22 के बजटीय आंकड़ों के साथ अनंतिम खाते के आंकड़ों की तुलना की गई है।[7] मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- सरकार ने 2021-22 में बजट अनुमान से 9% अधिक 37,94,171 करोड़ रुपए खर्च किए।
- 2021-22 में प्राप्तियां (उधार को छोड़कर) 22,07,634 करोड़ रुपए थीं जो बजट अनुमान से 12% अधिक है। कर और गैर-कर राजस्व दोनों ही बजट अनुमान से अधिक थे।
- 2021-22 में राजकोषीय घाटा, बजट अनुमान से 79,725 करोड़ रुपए अधिक था। हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.7% था, जो बजट अनुमान से थोड़ा कम था। राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% था, जो बजट अनुमान (जीडीपी का 5.1%) से कम था।
- 1,75,000 करोड़ रुपए के बजट लक्ष्य की तुलना में विनिवेश से हुई प्राप्ति 8,432 करोड़ रुपए (95% कम) थी।

तालिका 2: 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के अनंतिम खाते (करोड़ रुपए में)

मद	बजटीय 2021-22	अनंतिम 2021-22	परिवर्तन का %
कुल व्यय	34,83,236	37,94,171	9%
राजस्व व्यय	29,29,000	32,01,373	9%
पूंजीगत परिव्यय	5,13,862	5,33,878	4%
संवितरित ऋण	40,374	58,920	46%
कुल प्राप्तियां (उधारियों के अतिरिक्त	19,76,424	22,07,634	12%
कर राजस्व (शुद्ध)	15,45,397	18,20,382	18%
गैर कर राजस्व	2,43,028	3,48,044	43%
विनिवेश	1,75,000	8,432	-95%
अन्य प्राप्तियां	12,999	30,776	137%
राजकोषीय घाटा	15,06,812	15,86,537	5%
जीडीपी के % के रूप में	6.8%	6.7%	
राजस्व घाटा	11,40,576	10,32,947	-9%
जीडीपी के % के रूप में	5.1%	4.4%	

स्रोत: सीजीए; केंद्रीय बजट 2022-23; पीआरएस।

तालिका 3 बजट अनुमानों की तुलना में 2021-22 में कर राजस्व का ब्यौरा देती है। 2021-22 में केंद्र

सरकार का सकल कर राजस्व बजट अनुमान से 22% अधिक था। राज्यों को हस्तांतरण बजट से 32% अधिक था।

तालिका 3: 2021-22 में कर राजस्व (करोड़ रुपए में)

मद	बजटीय 2021-22	अनंतिम 2021-22	परिवर्तन का %
सकल कर राजस्व	22,17,059	27,08,291	22%
जीएसटी	6,30,000	7,01,700	11%
कॉरपोरेशन टैक्स	5,47,000	7,12,037	30%
आयकर *	5,48,500	6,73,410	23%
केंद्रीय एक्साइज	3,35,000	3,90,807	17%
कस्टम्स	1,36,000	1,99,114	46%
अन्य कर	20,559	31,223	52%
कर राजस्व (शुद्ध)	15,45,397	18,20,382	18%
राज्यों को हस्तांतरण	6,65,563	8,81,779	32%

नोट: *आयकर के आंकड़ों में सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स शामिल नहीं।
स्रोत: सीजीए; केंद्रीय बजट 2022-23; पीआरएस।

2021-22 की चौथी तिमाही में औद्योगिक उत्पादन में 1.6% की वृद्धि

2021-22 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 1.6% की दर से बढ़ा, जबकि 2020-21 में इसी अवधि के दौरान इसमें 6% की वृद्धि हुई थी।[8] आईआईपी में मैन्यूफैक्चरिंग, खनन और बिजली क्षेत्रों का हिस्सा क्रमशः 78%, 14% और 8% है। बिजली क्षेत्र में 2020-21 की चौथी तिमाही में 9.2% की तुलना में 2021-22 की चौथी तिमाही में 3.9% की बढ़ोतरी हुई। खनन क्षेत्र में 2021-22 की चौथी तिमाही में 3.8% की वृद्धि दर्ज की गई जबकि 202-21 में उसी अवधि के दौरान इसमें 0.1% का संकुचन हुआ था। मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में 2020-21 की चौथी तिमाही में 6.8% की वृद्धि हुई थी, जबकि 2021-22 की चौथी तिमाही में इसमें 0.9% की वृद्धि हुई।

रेखाचित्र 2: आईआईपी में वृद्धि (% वर्ष दर वर्ष)

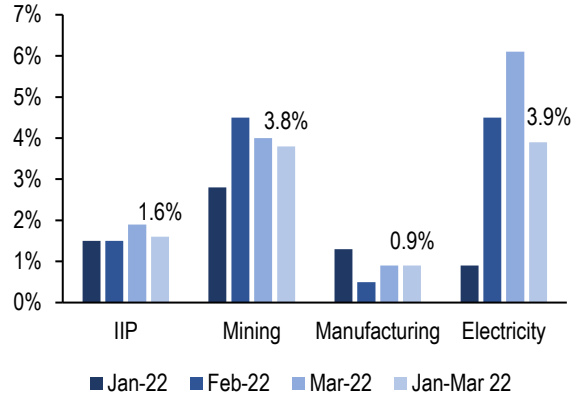

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; पीआरएस।

वित्त

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं

Rakshita Goyal (rakshita@prsindia.org)

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।[9] अदालत इस पर फैसला सुना रही थी कि क्या भारतीय आयातक विदेशी विक्रेता द्वारा विदेशी शिपिंग लाइन के लिए भुगतान किए गए समुद्री माल पर एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) लगाने के अधीन हो सकते हैं।[10] यह कर केंद्र सरकार द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर लगाया जाता था (माल या सेवाओं का प्राप्तकर्ता निर्माता के बजाय कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है)। केंद्र सरकार के इस तर्क पर कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर कर लगाया गया था, जो विधायिका और कार्यपालिका पर बाध्यकारी हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीएसटी परिषद सिर्फ सिफारिशें कर सकती है।

अदालत ने कहा कि जीएसटी परिषद से संबंधित प्रावधान यह संकेत नहीं देते कि ये सिफारिश बाध्यकारी हैं। अदालत ने कहा कि संसद और राज्य विधानमंडलों के पास जीएसटी पर कानून बनाने की 'समकालिक शक्ति' है। इसलिए

सिफारिशों को बाध्यकारी करना वित्तीय संघवाद की अवधारणा के खिलाफ हो सकता है।

इसके अतिरिक्त अदालत ने कहा कि ड्राफ्ट संविधान (संशोधन) बिल, 2011 में जीएसटी परिषद के लिए विवाद निवारण प्राधिकरण का प्रस्ताव था। परिषद की सिफारिशों से केंद्र या राज्य सरकारों के विचलन की स्थिति में प्राधिकारण विवादों का निपटान करेगा। इस प्रावधान को हटा दिया गया था, अन्यथा केंद्र और राज्यों की कानून बनाने की शक्ति अवरुद्ध हो सकती है।

आईजीएसटी की वसूली के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक भारतीय आयातक माल और परिवहन सेवाओं की समग्र (संयुक्त) आपूर्ति पर आईजीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि अदालत ने कहा कि परिवहन सेवाओं के प्रावधान पर अलग से वसूली केंद्रीय माल और सेवा कर एक्ट, 2017 का उल्लंघन है।

कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सहायक कंपनियों के विनिवेश और बंद करने की प्रक्रिया में बदलावों को मंजूरी दी

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के विनिवेश और बंद करने की प्रक्रिया में बदलाव को मंजूरी दी।[11] सीपीएसई के निदेशक मंडल को इन गतिविधियों की सिफारिश करने और उन्हें शुरू करने का अधिकार दिया गया है। पहले, महारत्न सीपीएसई द्वारा अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री के मामले को छोड़कर, बोर्डों के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं थी और उन्हें कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता थी।

नई व्यवस्था के तहत मंत्रियों का एक समूह सैद्धांतिक मंजूरी देगा और विनिवेश प्रक्रिया की समीक्षा करेगा। इस समूह में वित्त मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और संबंधित सीपीएसई के प्रशासनिक नियंत्रण वाले विभाग के मंत्री शामिल हैं।[12] महारत्न सीपीएसई द्वारा अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री के लिए सैद्धांतिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।

सीपीएसई द्वारा किए गए रणनीतिक विनिवेश या इकाइयों को बंद करना प्रतिस्पर्धी बोली पर आधारित होना चाहिए। रणनीतिक विनिवेश के दिशानिर्देश निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे, जबकि बंद करने के दिशानिर्देश सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे।

सरकार समर्थित बीमा योजनाओं की प्रीमियम की दरों में वृद्धि

Tanvi Vipra tanvi@prsindia.org

वित्त मंत्रालय ने 1 जून, 2022 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) की प्रीमियम दरों में वृद्धि को अधिसूचित किया है।[13] पीएमजेजेबीवाई के लिए प्रीमियम को 330 रुपए से बढ़ाकर 436 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। पीएमएसबीवाई के लिए इसे 12 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। पीएमएसबीवाई 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। यह आकस्मिक मृत्यु/पूर्ण विकलांगता के लिए दो लाख रुपए और आंशिक विकलांगता के लिए एक लाख रुपए का कवर प्रदान करता है।[14] पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए खुली है जिसमें बीमाशुदा व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में दो लाख रुपए का जोखिम कवर होता है।[15]

31 मार्च, 2022 तक पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के क्रमशः 6.4 करोड़ और 22 करोड़ एक्टिव सबस्क्राइबर्स हैं। केंद्र सरकार के अनुसार, बीमा कंपनियों को बार-बार होने वाले नुकसान के बावजूद योजनाओं के प्रीमियम में उनके लॉन्च के बाद से कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रीमियम में संशोधन से निजी बीमा कंपनियों को योजनाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा, ऐसी उम्मीद है। अगले पांच वर्षों में योजनाओं के तहत कवरेज को पीएमजेजेबीवाई के तहत 15 करोड़ रुपए और पीएमएसबीवाई के तहत 37 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

विधि एवं न्याय

Shubham Dutt (shubham@prsindia.org)

सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह कानून को लागू करने पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) में निहित राजद्रोह पर कानून को लागू करने पर रोक लगा दी है।[16] अदालत राजद्रोह के अपराध से संबंधित आईपीसी के सेक्शन 124ए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। केंद्र सरकार ने अदालत के सामने कहा कि वह इस प्रावधान की फिर से जांच कर रही है। इसके मद्देनजर अदालत ने इस प्रावधान को लागू करने पर तब तक के लिए रोक लगाने का फैसला किया है, जब तक कि इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती।

विशेष रूप से, न्यायालय ने निम्नलिखित किया है: (i) केंद्र और राज्य सरकारों को नए मामले दर्ज करने या राजद्रोह के अपराध से संबंधित जांच जारी रखने से रोका है, और (ii) राजद्रोह से संबंधित सभी लंबित मुकदमे, अपील और कार्यवाहियों को निलंबित कर दिया है। इसने उन पक्षों को राहत के लिए अदालत जाने की अनुमति दी है जिनके खिलाफ राजद्रोह के अपराध के लिए एक नया मामला दर्ज किया गया है।

उद्योग

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

सूक्ष्म तथा लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।[17] ये दिशानिर्देश योजना के दो घटकों के संबंध में 2019 में जारी पहले के दिशानिर्देशों की जगह लेते हैं: (i) कॉमन फेसिलिटी सेंटर, और (ii) इंफ्रास्ट्रक्चर विकास।[18] कार्यक्रम क्लस्टर विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्लस्टर एक पहचान योग्य क्षेत्र के भीतर स्थित उद्यमों का एक समूह है जिन्हें कॉमन फेसिलिटीज़ द्वारा एक साथ जोड़ा जा सकता है ताकि उनकी एक जैसी समस्याओं को एक साथ दूर किया जा सके। संशोधित दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- **वित्तीय सहयोग**: कार्यक्रम निम्नलिखित के लिए परियोजनाओं की लागत का कुछ हिस्सा वित्त पोषित करता है: (i) कॉमन फेसिलिटी सेंटर्स की स्थापना (जैसे कि टेस्टिंग, प्रशिक्षण और स्टोरेज के लिए), (ii) नए या मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों या क्लस्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाओं का विकास (जैसे बिजली वितरण, सड़क, जल आपूर्ति, और संचार)। पात्रता और सहायता की सीमा को संशोधित किया गया है, जैसा कि तालिका 4 में प्रदर्शित है।

तालिका 4: एमएसई-सीडीपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता

परियोजना का प्रकार	2019 के दिशानिर्देश		2022 के दिशानिर्देश	
	सहायता के लिए पात्र परियोजना लागत	वित्त पोषण (परियोजना लागत का %)	सहायता के लिए पात्र परियोजना लागत	वित्त पोषण (परियोजना लागत का %)
कॉमन फेसिलिटी सेंटर	20 करोड़ रुपए तक	70%	5-10 करोड़ रुपए	70%
			10-30 करोड़ रुपए	60%
नया औद्योगिक/कारखाना परिसर	15 करोड़ रुपए तक	60%	5-15 करोड़ रुपए	60%
औद्योगिक/कारखाना परिसर का अपग्रेडेशन	जरूरत पर आधारित, मामला दर मामला आधार पर		5-10 करोड़ रुपए	50%

नोट: संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के मामलों में अनुदान 10% अधिक होगा।
स्रोत: एमएसएमई मंत्रालय; पीआरएस।

- **मंजूरी प्रक्रिया**: राज्य स्तरीय एक संचालन समिति सहयोग के लिए विचारणीय परियोजनाओं की सिफारिश करेगी। राज्य स्तरीय समिति द्वारा सुझाई गई परियोजनाओं

को अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय परियोजना अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

- **पूरा करने की समय सीमा**: कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित किसी परियोजना को अनुमोदन की तारीख से 18 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम 2021-26 तक जारी रहेगा

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने 2021-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को जारी रखने की घोषणा की है।[19] 2008-09 में पीएमईजीपी को शुरू किया गया था ताकि गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायता करके देश भर में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम शुरू होने के बाद से, लगभग 7.8 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 19,995 करोड़ रुपए की सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम से लगभग 64 लाख लोगों के लिए अनुमानित रोजगार सृजित हुए हैं।

यह योजना 2021-26 के दौरान निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ लागू रहेगी:

- **पात्र परियोजनाएं**: कार्यक्रम के तहत सहयोग के लिए पात्र अधिकतम परियोजना लागत को मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों के लिए 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। सेवा इकाइयों के लिए इसे 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषा**: ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषाओं को संशोधित किया गया है। पिछले दिशानिर्देशों के तहत, राज्य के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गांव के रूप में वर्गीकृत कोई भी क्षेत्र, जनसंख्या के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्र माना जाता था। नए दिशानिर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा।
- **कुछ विशेष श्रेणियों के लिए उच्च सबसिडी**: आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडरों के तहत आने वाले पीएमईजीपी आवेदकों को विशेष श्रेणी के आवेदक माना जाएगा, और वे उच्च सब्सिडी (शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 10% अधिक) के हकदार होंगे।

योजना के तहत 2021-26 की अवधि के लिए कुल अनुमानित परिव्यय 13,554 करोड़ रुपए है।[19]

वाणिज्य

Tanvi Vipra (tanvi@prsindia.org)

ड्राफ्ट तंबाकू बोर्ड (संशोधन) बिल, 2022 पर टिप्पणियां आमंत्रित

वाणिज्य मंत्रालय एवं उद्योग ने ड्राफ्ट तंबाकू बोर्ड (संशोधन) बिल, 2022 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया है।[20] बिल तंबाकू बोर्ड एक्ट, 1975 में संशोधन का प्रस्ताव रखता है।[21] एक्ट देश में तंबाकू उद्योग के रेगुलेशन और विकास के लिए तंबाकू बोर्ड की स्थापना करता है। ड्राफ्ट बिल निम्नलिखित का प्रयास करता है: (i) अपराधों को डिक्रिमनलाइज करना, (ii) अनुपालन की जरूरतों को कम करना, और (iii) तंबाकू बोर्ड का आधुनिकीकरण। ड्राफ्ट बिल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- **अपराधों को डिक्रिमनलाइज करना**: एक्ट के अंतर्गत कुछ अपराधों के लिए कैद, जुर्माना या दोनों भुगताने पड़ते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कुछ किस्म की तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध का उल्लंघन, और (ii) कुछ गतिविधियों के लिए लाइसेंस या पंजीकरण न लेना। ड्राफ्ट बिल एक्ट के अंतर्गत सभी अपराधों को डिक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव रखता है और उसके स्थान पर सिविल पैनेल्टी लगाता है। वह एक्ट के अंतर्गत कुछ सिविल अपराधों के लिए पैनेल्टी को रैशनलाइज यानी तार्किक बनाने का प्रस्ताव भी रखता है।

- **अनुपालन की जरूरत को आसान करना**: एक्ट के अंतर्गत वर्जीनिया तंबाकू को उगाने, क्योरिंग (खपत के लिए तैयार करना) और प्रोसेसिंग सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए पंजीकरण जरूरी है। ड्राफ्ट बिल प्रस्ताव रखता है कि क्योरिंग के लिए पंजीकरण की जरूरत खत्म कर दी जाए। एक्ट में बार्न (क्योरिंग की जगह) के निर्माण और परिचालन के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ड्राफ्ट बिल बार्न के परिचालन के लिए लाइसेंस की जरूरत को खत्म करने का प्रस्ताव रखता है। पंजीकृत उत्पादकों, जिनके पास बार्न भी है, उन्हें परिचालन के लिए अलग से लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।
- **शुल्क में परिवर्तन**: ड्राफ्ट बिल में नीलामी के माध्यम से वर्जीनिया तंबाकू की बिक्री पर शुल्क को तंबाकू मूल्य के 2% से बढ़ाकर 4% करने का प्रयास किया गया है। एक्ट के तहत बोर्ड विक्रेता और क्रेता पर समान रूप से शुल्क लगाता है। ड्राफ्ट बिल एक समान वसूली की आवश्यकता को खत्म करने का प्रयास करता है।

ड्राफ्ट बिल पर 6 जून, 2022 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और सेरोगेसी बोर्ड की संरचना को अधिसूचित किया गया

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 और सेरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 के अंतर्गत राष्ट्रीय असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (एआरटी) और सेरोगेसी बोर्ड की संरचना को अधिसूचित किया है।[22] राष्ट्रीय बोर्ड के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एआरटी से संबंधित नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना, (ii) एआरटी क्लिनिक और बैंक के लिए आचार संहिता और मानकों को निर्धारित करना, और (iii) बिल के अंतर्गत गठित होने वाले विभिन्न निकायों की देखरेख करना।[23,24]

बोर्ड के सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) अध्यक्ष के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, (ii) उपाध्यक्ष के रूप में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव, (iii) लोकसभा के दो सदस्य, (iv) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय से प्रत्येक से एक संयुक्त सचिव, (v) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, (vi) रोटेशन के आधार पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के बोर्ड के अध्यक्ष, और (vii) सदस्य-सचिव के रूप में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के संयुक्त सचिव।

मेडिकल प्रैक्टीशनर्स के पेशेवर आचरण के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशंस जारी

Rakshita Goyal (rakshita@prsindia.org)

राष्ट्रीय मेडिकल आयोग ने ड्राफ्ट पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर (पेशेवर आचरण) रेगुलेशन, 2022 को अधिसूचित किया है।[25] उन्हें राष्ट्रीय मेडिकल आयोग एक्ट, 2019 (एनएमसी एक्ट) के तहत अधिसूचित किया गया है।[26] एक्ट एनएमसी को पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर (आरएमपी) के पेशेवर आचरण को रेगुलेट करने का अधिकार देता है।[26] एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर वह व्यक्ति होता है जिसका नाम या तो राज्य के मेडिकल रजिस्टर या भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राष्ट्रीय मेडिकल रजिस्टर में दर्ज होता है।[25] ड्राफ्ट रेगुलेशंस की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **आरएमपी के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां**: रेगुलेशन निर्दिष्ट करते हैं कि आरएमपी: (i) सफिक्स के रूप में केवल एनएमसी-मान्यता प्राप्त डिग्री का उपयोग करेंगे, (ii) उसी चिकित्सा प्रणाली को प्रैक्टिस करेंगे जिसमें उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, (iii) रोगियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आकर्षित नहीं करेंगे, और (iv) किसी उत्पाद या व्यक्ति का प्रचार नहीं करेंगे।

इसके अतिरिक्त किसी भी क्लिनिकल प्रक्रिया से पहले आरएमपी को अपने रोगियों से सूचित सहमति (इनफॉर्म्ड कन्सेंट) लेनी चाहिए। वे चुन सकते हैं कि उन्हें किस रोगी का इलाज करना है, सिवाय उन स्थितियों को छोड़कर जब जानलेवा आपात स्थिति है (जहां आरएमपी मरीजों का इलाज करने से मना नहीं कर सकते)।

- **शिकायत निवारण व्यवस्था**: पीड़ित व्यक्ति राज्य मेडिकल परिषद (एसएमसी) में पेशेवर दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 2019 का एक्ट राज्य सरकारों के लिए एसएमसी की स्थापना को अनिवार्य करता है।[26] पेशेवर दुर्व्यवहार को इन रेगुलेशंस या चिकित्सा पद्धति से संबंधित अन्य कानूनों जैसे एनएमसी एक्ट के किसी भी उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया गया है। एसएमसी अपने हिसाब से आरएमपी के खिलाफ जांच भी कर सकती हैं। डीफॉल्टिंग आरएमपी को एसएमसी निम्नलिखित द्वारा दंडित कर सकती है: (i) आरएमपी को अस्थायी रूप से प्रैक्टिस करने से रोकना, (ii) मौद्रिक दंड लगाना, और (iii) राष्ट्रीय मेडिकल रजिस्टर से आरएमपी को स्थायी रूप से हटाना।
- **टेलीमेडिसिन संबंधी दिशानिर्देश**: टेलीमेडिसिन में ऐसे सभी कम्यूनिकेशन चैनल आते हैं जिनका इस्तेमाल आईटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए मरीज करते हैं। इसमें वॉयस, ऑडियो, टेक्स्ट और डिजिटल डेटा एक्सचेंज शामिल हैं। टेलीकंसल्टेशन करते समय आरएमपी को (i) यह आकलन करना चाहिए कि क्या इन परिस्थितियों में एक टेलीकंसल्टेशन पर्याप्त होगा, (ii) टेलीकंसल्टेशन से पहले मरीजों की सहमति प्राप्त करें और उसे रिकॉर्ड करें, (iii) केवल तभी दवाएं लिखें जब वे संतुष्ट हों कि उनके पास रोगी की चिकित्सा स्थिति के बारे में पर्याप्त जानकारी है, और (iv) रोगियों की जानकारी के संबंध में सभी डेटा प्राइवेसी कानूनों का पालन करें।
- **सोशल मीडिया दिशानिर्देश**: नियमों के तहत, आरएमपी को: (i) सोशल मीडिया पर तथ्यात्मक रूप से सत्यापित जानकारी प्रदान करनी चाहिए, (ii) सोशल मीडिया के माध्यम से उपचार विधियों और दवाओं को निर्धारित करने और चर्चा करने से बचना चाहिए, (iii) यदि कोई मरीज सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे संपर्क करता है, तो उन्हें टेलीकंसल्टेशन की दिशा में मरीज का मार्गदर्शन करना चाहिए, और (iv) लाइक्स और फॉलोअर्स को नहीं खरीदना चाहिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एल्गोरिदम को सर्च करने के लिए धन का भुगतान नहीं करना चाहिए।

आर्युवेद के अनुसार तैयार खाद्य उत्पादों के रेगुलेशन के नियम अधिसूचित

Rakshita Goyal (rakshita@prsindia.org)

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (आयुर्वेद आहार) रेगुलेशन, 2022 को अधिसूचित किया है।[27] रेगुलेशंस को खाद्य सुरक्षा और मानक एक्ट, 2006 के तहत अधिसूचित किया गया है।[28] 2006 का एक्ट खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात के वैज्ञानिक मानकों को रेगुलेट और निर्धारित करता है।[28] ये रेगुलेशंस आयुर्वेद की निर्दिष्ट आधिकारिक पुस्तकों में निर्धारित व्यंजनों, उनमें प्रयुक्त वस्तुओं या प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार भोजन के लिए मानकों को निर्धारित करते हैं, जिन्हें "आयुर्वेद आहार" के रूप में परिभाषित किया गया है। औषधि और प्रसाधन सामग्री एक्ट, 1940 और औषधि और सौंदर्य प्रसाधन नियम, 1945 के तहत सूचीबद्ध आयुर्वेदिक ड्रग्स, दवाएं या दवा उत्पाद, और कॉस्मेटिक, नारकोटिक या साइकोट्रॉपिक पदार्थ इनके दायरे में नहीं आते।[29, 30] रेगुलेशंस की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- **विशेषज्ञ समिति की स्थापना**: एफएसएसएआई को आयुष मंत्रालय के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। समिति में एफएसएसएआई के प्रतिनिधियों सहित संबंधित

विशेषज्ञ शामिल होंगे। समिति दावों और उत्पादों के अनुमोदन पर सिफारिशें प्रदान करेगी और आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए पंजीकरण, लाइसेंस, प्रमाणन, और परीक्षण या गुणवत्ता के मुद्दों से संबंधित चिंताओं को दूर करेगी।

- **शर्तें**: रेगुलेशंस आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए सामान्य विनिर्देश निर्धारित करते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) केवल कुछ खाद्य योजकों (फूड एडिक्टिव्स) जैसे शहद और गुड़ की अनुमति है, (ii) विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड को उत्पादों में नहीं मिलाया जा सकता है, (iii) लेबल में कुछ जानकारियां लिखी होनी चाहिए जैसे उत्पाद के इच्छित उद्देश्य, लक्षित उपभोक्ता समूह, एक लोगो, और एक "केवल आहार उपयोग के लिए" जैसी सलाहकार चेतावनी, (iv) यह दावा करना प्रतिबंधित है कि उत्पाद किसी भी मानव रोग को रोकने, उसका इलाज करने या उसे दुरुस्त करने में सक्षम है, और (vi) खाद्य सुरक्षा से संबंधित माइक्रोबायोलॉजिकल मानकों और उत्पादन प्रक्रिया की स्वच्छता का पालन किया जाना चाहिए।

शिक्षा

ट्विनिंग, ज्वाइंट डिग्री और डुअल डिग्री कोर्स पेश करने वाले भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए रेगुलेशंस अधिसूचित

Rajat Asthana (rajat@prsindia.org)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी (ट्विनिंग, ज्वाइंट डिग्री और डुअल डिग्री प्रोग्राम्स की पेशकश करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग) रेगुलेशन, 2022 को अधिसूचित किया।[31] 2022 के रेगुलेशन ट्विनिंग, ज्वाइंट डिग्री और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम ऑफर करने वाले भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) से संबंधित प्रावधान करते हैं।[31] इन प्रोग्राम्स की प्रमुख विशेषताएं हैं:

- **ट्विनिंग प्रोग्राम**: भारतीय संस्थान में नामांकित विद्यार्थी आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से किसी विदेशी एचईआई में अध्ययन कर सकते हैं। डिग्री भारतीय संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी। एक विद्यार्थी विदेशी एचईआई के प्रोग्राम के लिए कुल क्रेडिट का 30% तक अर्जित कर सकता है।
- **ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम**: करिकुलम भारतीय और विदेशी एचईआई के सहयोग से संयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रत्येक सहयोगी संस्थान से कुल क्रेडिट का कम से कम 30% अर्जित करना चाहिए। क्रेडिट ओवरलैपिंग कोर्स के कंटेट से नहीं होना चाहिए। सहयोगी संस्थानों द्वारा एक ही सर्टिफिकेट के साथ डिग्री प्रदान की जाएगी।
- **डुअल डिग्री प्रोग्राम**: इन प्रोग्राम्स को भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा समान विषयों/विषय क्षेत्रों और समान स्तर (बैचलर्स या मास्टर्स) में संयुक्त रूप से डिजाइन और पेश किया जाएगा। विद्यार्थियों को भारतीय संस्थान से कुल क्रेडिट का कम से कम 30% अर्जित करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि डुअल डिग्री को अलग-अलग विषयों और/या एक साथ किए जा रहे स्तरों में टू डिग्री प्रोग्राम्स के रूप में नहीं गिना जाएगा।

इन कार्यक्रमों को ऑनलाइन और ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड में पेश नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त रेगुलेशंस सहयोग करने के लिए भारतीय और विदेशी एचईआई दोनों के लिए कुछ रैंकिंग मानदंड निर्दिष्ट करते हैं।

यूसीजी से अनुदान लेने के लिए मुक्त विश्वविद्यालयों की न्यूनतम भूमि की शर्त को कम किया गया

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिए मुक्त विश्वविद्यालयों की योग्यता) नियम, 1989 में संशोधनों को अधिसूचित किया।[32] 1989 के नियम मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान (यूजीसी या केंद्र सरकार से) की पात्रता से संबंधित मानदंड निर्दिष्ट करते हैं।[33] मानदंड के तहत राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विश्वविद्यालय के पास 40-60 एकड़ विकसित भूमि है। संशोधन विकसित भूमि की आवश्यकता को घटाकर पांच एकड़ करते हैं।[32]

सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण

Shubham Dutt (shubham@prsindia.org)

कोविड-19 में माता-पिता को गंवाने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई

केंद्र सरकार ने कुछ विशिष्ट बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना शुरू की।[34] यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने माता-पिता (जैविक या दत्तक) या कानूनी अभिभावक को कोविड-19 के कारण खो दिया है। योजना के तहत कक्षा एक से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। केंद्र सरकार 20,000 रुपए प्रति बच्चा प्रति वर्ष स्कॉलरशिप भत्ता प्रदान करेगी। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) स्कूल की फीस को कवर करने के लिए 8,000 रुपए का वार्षिक शैक्षणिक भत्ता, और किताबों, वर्दी, जूते और अन्य शैक्षिक सामग्री की लागत, और (ii) 1,000 रुपए का मासिक भत्ता।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

Rajat Asthana (rajat@prsindia.org)

थर्ड पार्टी बीमा के लिए बेस प्रीमियम निर्दिष्ट करने वाले नियम अधिसूचित

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन (थर्ड पार्टी बीमा बेस प्रीमियम और देयता) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है।[35,36] 2022 के नियम मोटर वाहन एक्ट, 1988 के प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं।[37] 1988 का एक्ट केंद्र सरकार के लिए यह अनिवार्य करता है कि वह थर्ड पार्टी बीमा के लिए बेस प्रीमियम और देयता का निर्धारण करे।[37] 2022 के नियम वाहनों के विभिन्न वर्गों के लिए असीमित देयता के लिए थर्ड पार्टी बीमा के लिए बेस प्रीमियम निर्धारित करते हैं।[35] विस्तृत सूची के लिए तालिका 5 देखें।

तालिका 5: विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए बेस प्रीमियम दर

निजी कार	
मानदंड (इंजन वॉल्यूम)	**दर (रुपए में)**
0 से 1000 सीसी	2,094 रुपए
1000 से 1500 सीसी	3,416 रुपए
1500 सीसी से अधिक	7,897 रुपए
गुड्स कैरियर कमर्शियल वाहन	
मानदंड (कुल वजन)	**दर (रुपए में)**
0 से 7,500 किलोग्राम	16,049 रुपए
7,500 से 12,000 किलोग्राम	27,186 रुपए
20,000 से 40,000 किलोग्राम	43,950 रुपए

स्रोत: जी.एस.आर. 394 (ई), भारतीय गैजेट; पीआरएस।

इसके अलावा, नियम कुछ श्रेणियों के वाहनों के लिए छूट की सीमा निर्दिष्ट करते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) शैक्षणिक संस्थानों की बसों के लिए 15%, (ii) इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 15%, (iii) हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 7.5%, और (iv) विंटेज कारों के लिए 50%।

पीपीपी मोड वाली राजमार्ग परियोजनाओं के स्वामित्व और आबंटन मानदंडों में संशोधन

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में राजमार्ग परियोजनाओं के मॉडल अनुबंधों में संशोधन किया

है।[38,39] राजमार्ग परियोजनाओं को विभिन्न मॉडलों (जैसे बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर और हाइब्रिड एन्युटी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- **स्वामित्व का हस्तांतरण**: इससे पहले, बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (टोल) परियोजनाओं के लिए, स्वामित्व दो साल के वाणिज्यिक संचालन के पूरा होने के बाद ही हस्तांतरित किया जा सकता था।[38] 2022 के संशोधन इसे एक वर्ष करते हैं।[38]
- **हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) परियोजनाएं आबंटित करने का मानदंड**: एचएएम परियोजनाओं में, परियोजना की 40% लागत को निर्माण अवधि के दौरान प्रदान किया जाता है, शेष 60% संचालन अवधि के दौरान वार्षिकी भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है।[40] अब तक एचएएम परियोजनाओं की बोलियां बोली के न्यूनतम मूल्यांकित मूल्य पर आधारित होती है।[39] बोली मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित के योग के आधार पर किया गया था: (i) परियोजना की लागत (कन्सेशन की अवधि के दौरान), और (ii) ओ एंड एम लागत (संचालन अवधि के दौरान)।[39] 2022 के संशोधन ओ एंड एम लागत के मानदंड को हटाते हैं।[39] परियोजनाओं को परियोजना लागत की न्यूनतम बोली के आधार पर ही आबंटित किया जाएगा।[39]

शिपिंग

भारतीय शिपयार्ड्स की वित्तीय सहायता की समय अवधि बढ़ाई गई

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने "जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति के कार्यान्वयन के दिशानिर्देशों" में संशोधन किया।[41] नीति 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2026 के बीच हस्ताक्षरित जहाज निर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।[42] दिशानिर्देश नीति के तहत वित्तीय सहायता हेतु जहाजों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। अनुबंध की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर निर्मित और डिलिवर किए गए जहाज वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। 2022 के संशोधन यह प्रावधान करते हैं कि 24 मार्च, 2021 से 31 मार्च, 2022 के बीच हस्ताक्षरित अनुबंधों के लिए, निर्माण और डिलिवरी की समयावधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कोविड-19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला में आई रुकावट की वजह से ऐसा किया गया है।[41]

मुख्य बंदरगाहों पर स्ट्रेस्ड परियोजनाओं से निपटने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित

Rajat Asthana (rajat@prsindia.org)

बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मुख्य बंदरगाहों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली तनावग्रस्त (स्ट्रेस्ड) परियोजनाओं से निपटने के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया।[43,44] दिशानिर्देश उन परियोजनाओं पर लागू होते हैं जो (i) निर्माण चरण के दौरान (वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने से पहले) और (ii) कनसेशनेर की उधारी के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट होने, और/या ऋणदाताओं के अपने देय की रिकवरी के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल में जाने के कारण तनावग्रस्त हुई हैं। रेज़ोल्यूशन की व्यवस्था इस प्रकार है:

- **वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने से पहले परियोजना का तनावग्रस्त होना**: कनसेशनिंग अथॉरिटी, कनसेशनेर/ऋणदाता (जैसा भी मामला हो) को उसके द्वारा सृजित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए पूरी और अंतिम निपटान राशि का भुगतान करेगी। यह राशि निम्नलिखित राशि में से सबसे कम राशि के बराबर होगी (i) कनसेशन की शर्तों के आधार पर कनसेशनेर द्वारा किए गए उपयोगी कार्य का कुल मूल्य, या (ii) समझौते में दर्ज देय ऋण का 90%, या (iii) कोई अन्य राशि, जिस पर मॉडल कनसेशन समझौते के संबंधित प्रावधानों के अनुसार दोनों पक्ष लिखित में राजी हो गए हों।

- **तनावग्रस्त उधारियों वाली परियोजनाएं**: इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता 2016 के तहत या कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 241 (2) के तहत एनसीएलटी के समक्ष देय प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। कनसेशनिंग अथॉरिटी को एनसीएलटी के आदेशों के माध्यम से नियमित रूप से इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रियाओं की निगरानी करनी चाहिए।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति, 2018 में संशोधनों को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति, 2018 पर संशोधनों को मंजूर किया।[45] नीति का उद्देश्य जैव-ईंधन को मुख्यधारा में लाना और आने वाले दशकों में देश के ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में इसकी केंद्रीय भूमिका की कल्पना करना है।[46] स्वीकृत संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) 2030 की बजाय 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को निर्धारित करना, (ii) जैव-ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीडस्टॉक की अनुमति देना, (iii) राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति में नए सदस्यों को जोड़ना, और (iv) विशिष्ट मामलों में जैव-ईंधन के निर्यात की अनुमति देना। इसके अतिरिक्त संशोधन मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में जैव-ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं।

मीडिया एवं प्रसारण

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

ट्राई ने प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए टैरिफ रेगुलेशन फ्रेमवर्क से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां मांगी

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने "प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से संबंधित मुद्दे" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।[47,48] नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जनवरी 2020 में अधिसूचित किया गया था। यह टीवी सबस्क्रिप्शन सेवाओं के लिए टैरिफ को रेगुलेट करता है।

फ्रेमवर्क के तहत टीवी चैनलों को एक बुके के हिस्से के रूप में या व्यक्तिगत आधार पर पेश किया जा सकता है। एक बुके का हिस्सा बनने के लिए चैनल को 12 रुपए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) चुकाने होते हैं। ट्राई ने पाया कि ब्रॉडकास्टरों ने लोकप्रिय चैनलों के लिए इस एमआरपी से अधिक कीमतें निर्धारित की हैं। नतीजतन, ये चैनल बुके का हिस्सा नहीं बनते हैं और इन्हें केवल व्यक्तिगत आधार पर ही सब्सक्राइब किया जा सकता है। यह कहा गया कि कुछ उपभोक्ता निम्नलिखित में कठिनाइयों के कारण अपनी पसंद के चैनल चुनने में असहज हैं: (i) आईटी सिस्टम का उपयोग, और (ii) सेवा प्रदाताओं द्वारा पेश किए जाने वाले पैकेजों को न समझना। उसने स्टेकहोल्डर्स के सुझावों पर ध्यान दिया कि लोकप्रिय चैनलों को बुके में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ट्राई ने पाया कि बुके पर अधिक छूट के कारण उपभोक्ता अलग-अलग चैनलों को नहीं चुनते और उससे उनकी पसंद सीमित होती है। इसलिए फ्रेमवर्क ने बुके पर दी जाने वाली छूट को भी सीमित कर दिया था।

ट्राई ने निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर विचार मांगे हैं: (i) क्या बुके में शामिल किए जाने वाले चैनल के लिए अधिकतम मूल्य रखे जाएं, (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं कि लोकप्रिय चैनल दर्शकों के बड़े वर्ग को सुलभ रहें, (iii) क्या बुके पर छूट की सीमा तय की जाए, और (iv) क्या बुके में चैनल की कीमतें एक समान होनी चाहिए।

इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी

ड्राफ्ट राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति पर टिप्पणियां आमंत्रित

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति के ड्राफ्ट पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[49] नीति सरकारी डेटा के कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, एक्सेस और उपयोग को मानकीकृत करने का प्रयास करती है। नीति के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना, (ii) डेटा प्रबंधन और सुरक्षा मानकों का मानकीकरण, और, (iii) सरकारी डेटा तक पहुंच बढ़ाने के लिए डेटा प्लेटफॉर्म बनाना। नीति की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **भारतीय डेटा प्रबंधन कार्यालय (आईडीएमओ)**: नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत आईडीएमओ की स्थापना की जाएगी। आईडीएमओ की प्रमुख जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) मंत्रालयों/विभागों के लिए डेटा स्टोरेज और रिटेंशन के लिए मानकों का विकास, (ii) सरकार द्वारा एकत्र किए गए नॉन-पर्सनल और अज्ञात डेटासेट वाले भारत डेटासेट कार्यक्रम का निर्माण और निजी संस्थाओं को इस तरह के डेटा को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, (iii) डेटा एनॉनिमाइजेशन (यानी पहचान योग्य डेटा को हमेशा के लिए हटाने) के लिए मानकों और नियमों को प्रकाशित करना, और (iv) डेटासेट तक एक्सेस का प्रबंधन करना। आईडीएमओ नीति को बनाने, उसका प्रबंधन करने और समय-समय पर समीक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
- **नीति की एप्लिकेबिलिटी**: नीति निम्नलिखित पर लागू होगी: (i) सभी सरकारी विभाग/मंत्रालय, और (ii) सभी नॉन-पर्सनल डेटासेट्स, उसके एक्सेस को प्रबंधित करने वाले मानक और शोधकर्ताओं और स्टार्ट-अप द्वारा उपयोग किए जाने वाले। राज्य सरकारों को नीति के प्रावधानों और उसके मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

खनन

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

खान और खनिज (विकास एवं रेगुलेशन) एक्ट, 1957 में प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियां आमंत्रित

खान मंत्रालय ने खान और खनिज (विकास एवं रेगुलेशन) एक्ट, 1957 में प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[50] एक्ट खनन क्षेत्र को रेगुलेट करता है।[51] प्रस्तावित संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **खोज संबंधी गतिविधियों के लिए वन मंजूरी**: वर्तमान में खनिजों की खोज के काम के लिए वन मंजूरियां आवश्यक हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस काम से वन भूमि या जैव विविधता में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए प्रस्तावित संशोधनों में यह जोड़ने का प्रयास किया गया है कि वन भूमि में खोज को वनों का गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल न माना जाए। राज्य सरकारों के पास यह शक्ति होगी कि खोज के काम के लिए अनुमति देने का कौन सा तरीका निर्धारित किया जाए।
- **कंपोजिट लाइसेंस की नीलामी के लिए केंद्र की मंजूरी**: एक्ट में राज्य सरकारों को अधिसूचित खनिजों (बॉक्साइट, लौह अयस्क, चूना पत्थर और मैंगनीज) के कंपोजिट लाइसेंस की नीलामी के लिए केंद्र सरकार से पूर्व स्वीकृति लेनी जरूरी है। एक कंपोजिट लाइसेंस एक ही लाइसेंस के तहत खोज और खनन गतिविधियों, दोनों की अनुमति देता है। प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को हटाते हैं।
- **कैप्टिव खनिकों द्वारा वाणिज्यिक बिक्री**: एक्ट कैप्टिव खानों के खनिकों को वार्षिक उत्पादन

का 50% तक बेचने की अनुमति देता है। लिंक्ड संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद बिक्री की जा सकती है। प्रस्तावित संशोधन इस आवश्यकता को खत्म करने का प्रयास करते हैं। यह खनिकों को अपने वार्षिक उत्पादन का 50% बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति देते हैं।

- **औसत बिक्री मूल्य (एएसपी)**: एएसपी एक राज्य में प्रत्येक खान से खनिजों के 'बिक्री मूल्य' का भारित औसत है। एएसपी का उपयोग रॉयल्टी की गणना के लिए किया जाता है। एएसपी एक्ट में परिभाषित नहीं है। मौजूदा नियमों के अनुसार, 'बिक्री मूल्य' में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) को रॉयल्टी और भुगतान शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए लीज़ी को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसमें रॉयल्टी पर रॉयल्टी भी शामिल है। प्रस्तावित संशोधन एक्ट में एएसपी को परिभाषित करने और निर्यात शुल्क, जीएसटी, रॉयल्टी, डीएमएफ और एनएमईटी को भुगतान, और ऐसी अन्य वसूलियों को हटाने की मांग करते हैं।

15 जून, 2022 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

पर्यावरण

Rakshita Goyal (rakshita@prsindia.org)

कोयला खनन परियोजनाओं के विस्तार के मामले में पर्यावरण मंजूरी देने के लिए विशेष व्यवस्था

घरेलू कोयले की कमी को देखते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोयला खनन परियोजनाओं के विस्तार के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) नियमों में संशोधन किया है। ये छह महीने तक प्रभावी रहेंगे।[52] अप्रैल 2022 में मंत्रालय ने मौजूदा परियोजनाओं (कोयला खनन परियोजनाओं सहित) की क्षमता को 50% तक बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी संबंधी दिशानिर्देश जारी किए थे।[53] दिशानिर्देश उन परियोजनाओं पर लागू होते हैं: (i) जिन्हें अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है, (ii) जिसने मौजूदा परियोजना क्षमता के लिए कम से कम एक जन सुनवाई आयोजित की है, और (iii) जिसका विस्तार कम से कम तीन चरणों में होगा।

क्षमता को 40% से 50% करने के लिए परियोजनाओं को एक संशोधित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट और नए सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता होती है।[54] जिन कोयला खनन परियोजनाओं को पहले 40% तक की क्षमता विस्तार के लिए ईसी प्रदान किया गया था, अब उन्हें संशोधित ईआईए रिपोर्ट और सार्वजनिक परामर्श के बिना 50% तक क्षमता विस्तार के लिए ईसी दिया जाएगा।

ई-कचरा प्रबंधन नियमों पर टिप्पणियां आमंत्रित

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ड्राफ्ट ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[55] नियम ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 का स्थान लेने का प्रयास करते हैं।[56] ई-कचरा ऐसे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जिन्हें मैन्यूफैक्चरिंग, रिपेयर या रिफर्बिशमेंट प्रक्रिया के दौरान छांटकर अलग कर दिया जाता है (यानी फेंक दिया जाता है)। ड्राफ्ट नियमों को पर्यावरण संरक्षण एक्ट, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।[57] 1986 का एक्ट केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह जोखिमपरक पदार्थों की संभाल के लिए सुरक्षात्मक उपाय और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट कर सकती है।[57] ड्राफ्ट नियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- **रीसाइकलिंग के लक्ष्य**: 2016 के नियम इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, एसेंबलीज़ या उपकरण का काम करने वालों (निर्माताओं) के लिए चार चरणों में ई-कचरा संग्रहण के लक्ष्य निर्दिष्ट करते हैं। ड्राफ्ट नियमों में इन लक्ष्यों में संशोधन किया गया है (तालिका 6)।

तालिका 6: ई-कचरा रीसाइलिंग के लक्ष्यों के बीच तुलना

2016 नियम	
वर्ष*	**लक्ष्य (उत्पादित कचरे का %)**
पहले दो वर्ष	30%
तीसरा और चौथा वर्ष	40%
पांचवां और छठा वर्ष	50%
सातवें वर्ष के बाद	70%
2022 ड्राफ्ट नियम	
वर्ष	**लक्ष्य (उत्पादित कचरे का %)**
2022-23	60%
2023-24	70%
2024-25 के बाद से	80%

*नोट: यह आवेदक को ईपीआर प्रमाणपत्र दिए जाने के बाद की समयावधि को संदर्भित करता है।

स्रोत: ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016; ड्राफ्ट ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022; पीआरएस।

- **विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) प्रमाणपत्र**: इन रीसाइकिलिंग लक्ष्यों को पंजीकृत रीसाइकिलर्स (जिसे ईपीआर प्रमाण पत्र भी कहा जाता है) से प्रमाणपत्र खरीदकर प्राप्त किया जाना है। ईपीआर प्रमाणपत्र एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दाखिल किया जाना चाहिए। जो उत्पादक अपने रीसाइकलिंग के लक्ष्यों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति या जुर्माना देना होगा। 2016 के नियमों के अंतर्गत ईपीआर सर्टिफिकेट पांच वर्षों के लिए वैध है।[56] ड्राफ्ट नियम इसे कम करके दो वर्ष करने का प्रयास करते हैं।[55]

18 जुलाई, 2022 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

[1] Press Note on Provisional Estimates of Annual National Income 2021-22 and Quarterly Estimates of Gross Domestic Product for the Fourth Quarter (Q4) of 2021-22, Ministry of Statistics and Programme Implementation, May 31, 2022, https://www.mospi.gov.in/documents/213904/416359//Press%20Note_PE%20FY22m1653998874449.pdf/9616eef9-71b9-7522-808a-5fd438857454.

[2] Press Note on Second Advance Estimates of National Income 2021-22 and Quarterly Estimates of Gross Domestic Product for the Third Quarter (Q3) of 2021-22, Ministry of Statistics and Programme Implementation, February 28, 2022, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/feb/doc202222820801.pdf.

[3] Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) May 2 and 4, 2022, Monetary Policy Statement, 2022-23, Reserve Bank of India, May 4, 2022, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR154MPC775AD9D2A37141F7A6E64AC29BB8D2C0.PDF.

[4] Statement on Developmental and Regulatory Policies, Reserve Bank of India, April 8, 2022, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR3979B033899C2A4C2B9C7108D2D859BA92.PDF.

[5] Governor's Statement, Reserve Bank of India, May 4, 2022, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR153GSEDE870BE9EAF4CEF9F9C3A22B4BB3855.PDF.

[6] Provisional Accounts for 2021-2022, Union Government Accounts at a Glance, Controller General of Accounts, Ministry of Finance, May 31, 2022, https://cga.nic.in/MonthlyReport/Published/3/2021-2022.aspx.

[7] Budget at a Glance 2022-23, Union Budget 2022-23, Ministry of Finance, February 2022, https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/budget_at_a_glance.pdf.

[8] "Quick Estimates of Index of Industrial Production and Use-Based Index for the Month of March, 2022 (Base 2011-12=100)", Press Information Bureau, Ministry of Statistics and Programme Implementation, May 12, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1824763.

[9] Union of India & Anr. v. M/s Mohit Minerals Pvt. Ltd., C.A. No. 1390 of 2022, May 19, 2022, https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/23083/23083_2020_4_1501_35969_Judgement_19-May-2022.pdf.

[10] Mohit Minerals v Union of India, S.C.A. No. 726/2018, January 23, 2022.

[11] "Cabinet empowers the Board of Directors of the Holding / Parent Public Sector Enterprises to recommend and undertake the process for Disinvestment / closure of their subsidiaries / units / stake in JVs and additional delegation of powers to Alternative Mechanism", Press Information Bureau, Ministry of Finance, May 18, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1826264.

[12] "Cabinet approves procedure and mechanism for Strategic Disinvestment", Press Information Bureau, Cabinet Committee on Economic Affairs, August 17, 2017, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1499860.

[13] "First ever Revision of premium rates of Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) w.e.f. 1st June 2022", Press Information Bureau, Ministry of Finance, May 31, 2022, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1829772

[14] Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Department of Financial Services, Ministry of Finance, as accessed on June 1, 2022, https://financialservices.gov.in/insurance-divisions/Government-Sponsored-Socially-Oriented-Insurance-Schemes/Pradhan-Mantri-Suraksha-Bima-Yojana(PMSBY).

[15] Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Department of Financial Services, Ministry of Finance, as accessed on June 1, 2022, https://financialservices.gov.in/insurance-divisions/Government-Sponsored-Socially-Oriented-Insurance-Schemes/Pradhan-Mantri-Suraksha-Bima-Yojana(PMSBY).

[16] S.G. Vombatkere vs. Union of India, Supreme Court of India, Writ Petition (C) No. 682 of 2021, May 11, 2022, https://main.sci.gov.in/supremecourt/2021/14059/14059_2021_1_301_35891_Order_11-May-2022.pdf.

[17] New Guidelines of Micro & Small Enterprises Cluster Development Programme (MSE-CDP) approved, Ministry of Micro, Small, Medium Enterprises, Press Information Bureau, May 27, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1828753.

[18] Guidelines of MSE-CDP, Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises, October 11, 2019, http://www.dcmsme.gov.in/schemes/New-Guidelines.pdf.

[19] "Continuation of the on-going Plan Scheme - Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), over

the 15th Finance Commission cycle for five years from 2021-22 to 2025-26 with an outlay of Rs.13554.42 Crore", Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Press Information Bureau, May 30, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1829437.

[20] Draft Tobacco Board (Amendment) Bill, 2022, https://commerce.gov.in/wp-content/uploads/2022/05/Tobacco-Board-Amendment-Bill-2022.pdf.

[21] The Tobacco Board Act, 1975, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1739/1/197504.pdf.

[22] CG-DL-E-04052022-235539, Ministry of Health and Family Welfare, the Gazette of India, May 4, 2022, file:///C:/Users/prsin/Downloads/Composition%20of%20assisted%20reproductive%20technology%20board.pdf.

[23] The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2020/The%20Assisted%20Reproductive%20Technology%20(Regulation)%20Act,%202021.pdf.

[24] The Surrogacy (Regulation) Act, 2021, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2019/The%20Surrogacy%20(Regulation)%20Act,%202021.pdf.

[25] F.No. 12013/01/2022/Ethics, National Medical Commission, https://www.nmc.org.in/MCIRest/open/getDocument?path=/Documents/Public/Portal/LatestNews/NMC%20RMP%20REGULATIONS%202022%20Draft%20Final%20YM.pdf.

[26] The National Medical Commission Act, 2019, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/210357.pdf.

[27] CG-DL-E-07052022-235642, Food Safety and Standards Authority of India, Gazette of India, May 5, 2022, https://fssai.gov.in/upload/notifications/2022/05/62789a20b54bdGazette_Notification_Ayurveda_Aahara_09_05_2022.pdf.

[28] The Food Safety and Standards Act, 2006, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/7800/1/200634_food_safety_and_standards_act%2C_2006.pdf.

[3] The Drugs and Cosmetics Act, 1940, https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2409?sam_handle=123456789/1362.

[4] The Drugs and Cosmetics Rules, 1945, https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/1362/simple-search?query=The%20Drugs%20and%20Cosmetics%20Rules,%201945&searchradio=rules.

[29] The Drugs and Cosmetics Act, 1940, https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1940-23.pdf.

[30] The Drugs and Cosmetics Rules, 1945, https://cdsco.gov.in/opencms/export/sites/CDSCO_WEB/Pdf-documents/acts_rules/2016DrugsandCosmeticsAct1940Rules1945.pdf.

[31] F. No. 4-1/2022(IC), Gazette of India, University Grants Commission, May 2, 2022, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/235497.pdf.

[32] G.S.R 359 (E), Gazette of India, Ministry of Education, 17 May, 2022, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/235884.pdf.

[33] UGC (Fitness of Open Universities for Grants) Rules, 1988, Ministry of Human Resource Development, March 8, 1989, https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_9_9_00004_195603_1517807319834&type=rule&filename=FitnessOpenUniversitiesforGrantsRules1988.pdf.

[34] "Central Sector Scheme of Scholarship for PM Cares Children", Press Information Bureau, Ministry of Social Justice and Empowerment, May 30, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1829420.

[35] G.S.R. 394 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, May 25, 2022, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/may/doc202252659101.pdf.

[36] "Notification issued pertaining to base premium for third party insurance for unlimited liability", Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, May 26, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1828414.

[37] Motor Vehicles Act, 1988, Ministry of Road Transport and Highways, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/9460/1/a1988-59.pdf.

[38] Office Memorandum No. NH-24028/14/2014-H (Vol II) (E-134863), Ministry of Road Transport and Highways, May 23, 2022, https://morth.nic.in/sites/default/files/circulars_document/changes-annx-in-bot%28toll%29.pdf.

[39] Office Memorandum No. NH-24028/14/2014-H (Vol II) (E-134863), Ministry of Road Transport and Highways, May 23, 2022, https://morth.nic.in/sites/default/files/circulars_document/changes-annx-in-ham.pdf.

[40] "Hybrid Annuity Model for National Highways", Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, November 21, 2019, https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1592673.

[41] "Guidelines for Shipbuilding Financial Assistance Policy (SBFAP)-Amendment regarding", Ministry of Ports, Shipping and Waterways, April 28, 2022, https://shipmin.gov.in/sites/default/files/Amendedguidelineswithforwardingletter_0.pdf.

[42] Shipbuilding Financial Assistance Management System, Ministry of Shipping, https://www.shipbuilding.nic.in/.

[43] No. PD-13/1/2018-PPP Cell/e-220932, Office Memorandum, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, May 10, 2022, https://shipmin.gov.in/sites/default/files/PPP_stressed_Proj_Policy.pdf.

[44] "Guidelines for early Resolution of Stuck Public Private Partnership (PPP) projects at Major Ports", Press Information Bureau, Ports, Shipping and Waterways, May 11, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1824427.

[45] Cabinet approves Amendments to the National Policy on Biofuels -2018, Ministry of Petroleum and Natural Gas, May 18, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1826266.

[46] National Biofuel Policy, 2018, http://164.100.94.214/sites/default/files/uploads/biofuel_policy_0.pdf.

[47] "Consultation Paper on Issues related to New Regulatory Framework for Broadcasting and Cable services", Telecom Regulatory Authority of India, May 7, 2022, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_07052022_0.pdf.

[48] "TRAI releases Consultation paper on Issues related to New Regulatory Framework for Broadcasting and Cable services", Telecom Regulatory Authority of India, May 7, 2022, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/PR_No.29of2022.pdf.

[49] National Data Governance Framework Policy (Draft), Ministry of Electronics and Information Technology, May 2022, https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/National%20Data%20Governance%20Framework%20Policy_26%20May%202022.pdf.

[50] "Proposal for amendment of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 for bringing reforms in mineral sector", Ministry of Mines, May 25, 2022, https://www.mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/PublicNotice.pdf.

[51] The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1421/1/AAA1957___67.pdf.

[52] F.No. IA3-22/10/2022-IA.III, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, May 7, 2022, http://environmentclearance.nic.in/writereaddata/OMs-2004-2021/292_OM_07_05_2022.pdf.

[53] F.No. IA3-22/10/2022-IA.III, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, April 11, 2022, http://environmentclearance.nic.in/writereaddata/OMs-2004-2021/284_OM_11_04_2022.pdf.

[54] F.No. IA3-22/10/2022-IA.III, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, April 11, 2022, http://environmentclearance.nic.in/writereaddata/OMs-2004-2021/284_OM_11_04_2022.pdf.

[55] S.O. 360(E), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2022/05/Draft-E-Waste-Management-Rule.pdf.

[56] G.S.R. 338(E), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, https://cpcb.nic.in/displaypdf.php?id=RS1XYXN0ZS9FLVdhc3RlTV9SdWxlc18yMDE2LnBkZg==.

[57] Environment Protection Act, 1986, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4316/1/ep_act_1986.pdf.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।